

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-108/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती शाकुन्तला साईवाल, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, जिनकी जन्मतिथि 02.06.1961 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11.04.1994 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत 02.08.2018 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 02.08.2018 अकार्य दिवस मानी जावेगी।


इनके विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-108/2018/1643 दिनांक:- 31/07/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके क्रमांक 1578/एम/एमएच/18 दिनांक 03.07.18 की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 5152/PS/ACS/M&H/2018 दिनांक 03.07.2018 की अनुपालना में।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 1541 दिनांक 29.06.18 के संदर्भ में।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर